केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 55/टीएल/2024 दिनांक : 1.4.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

नीमराना II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–1) बीकानेर कॉम्प्लेक्स): भाग–घ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ नीमराना–II–बरेली (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन • नीमराना–II एस/एस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नंबर • बरेली (पीजी) पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नंबर • नीमराना–II एस/एस पर 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट– 2 नंबर • बरेली (पीजी) एस/एस पर 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट – 2 नंबर	एसपीवी अंतरण से 24 मास
2.	नीमराना–II एवं बरेली (पीजी) एस/एस 765 केवी लाइन बे प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर. 4 नंबर (नीमराना–II एवं बरेली (पीजी) एस/एस प्रत्येक पर 2 नंबर)	

नोटः

नीमराना–II एस/एस का विकासकर्ता, नीमराना–II–बरेली (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए नीमराना–II एस/एस पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा। पावरग्रिड, बरेली (पीजी) एस/एस पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 23.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 55/टीएल/2024 में दिनांक 30.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. नीमराना II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid/.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **17.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **19.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव